दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)
<u>वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 34 / 2016</u>

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., प्राधिकरण संकल्प सं. 208, दिनांक 25-02-1967 द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों के संबंध में दि.वि.प्रा. के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हैः-

क्रम सं.	मद	अधिकारी का पदनाम	प्रस्तावित प्रत्यायोजन
1.	स्टाफवाहनों के स्थान पर टैक्सी हायर करना	उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य	आयुक्त एवं सचिव की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ
2.	टैक्सी हायर करने को बढ़ाना	आयुक्त एवं सचिव	निदेशक (नजारत) के परामर्श से पूर्ण शक्तियाँ
3.	डी.एल.वाई. टैक्सी की दरों का निर्धारण	उपाध्यक्ष	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के परामर्श से पूर्ण शक्तियाँ
4.	आकस्मिक आधार पर डी.एल.वाई. टैक्सी का अस्थायी आबंटन	आयुक्त एवं सचिव/मुख्य लेखा अधिकारी	निदेशक (नजारत) की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ
5.	उपर्युक्त मद (4) पर अस्थायी आकस्मिक आबंटन के संबंध में भुगतान	आयुक्त एवं सचिव/मुख्य लेखा अधिकारी	अनुमोदित दरों पर पूर्ण शक्तियाँ
6.	डी.एल.वाई. ट्रैक्सी ऑपरेटर्स का पैनल तैयार करना	उपाध्यक्ष	आयुक्त एवं सचिव की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ

2. उपर्युक्त मदों/कार्यों पर व्यय इस शर्त के अंतर्गत होगा कि व्यय पूरा करने के लिए बजट प्रावधान मौजूद हो तथा सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय राजकोष नियमों में उल्लिखित संगत प्रावधानों और समय-समय पर ज़ारी सरकारी आदेशों का अनुपालन हो ।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी